

प्रेस नोट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 18.07.2024

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष बड़हलगंज के नेतृत्व में 30नि0 कृष्ण कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 432/2024, धारा- 191(2),191(3),190,115(2),351(3),109,324(4) भारतीय न्याय संहिता-2023 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.गोरखनाथ यादव, 2.सुनील यादव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा जमीनी विवाद को लेकर एक राय होकर लाठी-डंडा व धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से वादी मुकदमा को मारा-पीटा गया, जिससे वादी व वादी के पिता को सिर पर गंभीर चोट आयी जिससे वादी मुकदमा मौके पर बेहोश गये। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के दरवाजे पर खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. गोरखनाथ यादव पुत्र स्व0 रामधारी यादव निवासी महुलिया पोयल थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. सुनील यादव पुत्र स्व0 काशीनाथ यादव निवासी महुलिया पोयल थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 280/2024 धारा- 323,504,506,427,341 भा0दं0सं0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0- 432/2024, धारा- 191(2),191(3),190,115(2),351(3),109,324(4) भारतीय न्याय संहिता-2023 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

- 1.30नि0 कृष्ण कुमार सिंह थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
- 2.कां0 राजा प्रजापति थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
3. कां0 राहुल मौर्या थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर